# षष्ठ पत्र

## राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की उस भाषा को कहा जाता है जो अधिसंख्यक जनता द्वारा बोली-समझी, लिखी जाती है और उस राष्ट्र के अन्य भाषा-भाषी लोगों की मान्यता भी उसे प्राप्त रहती है। राष्ट्रभाषा सरकारी मान्यता प्राप्त कर तथा सरकारी काम-काज का माध्यम बन राजभाषा का रूप भी ग्रहन करती है या कर सकती है।

सम्पर्क भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो दो भाषा-भाषी व्यक्तियों, समुदायो या राज्यों-देशों के बीच संवाद का माध्यम बनती है। सम्पर्क भाषा के लिए भी सरकारी मान्यता का महत्वपूर्ण स्थान होता है परन्तु इसकी अत्यंतिक अनिवार्यता नहीं होती। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा का निर्धारण सरकारी मान्यता के बिना भी बहुत कुछ हो सकता है या हो जाता है परन्तु राजभाषा अनिवार्यत: सरकारी मान्यता की अपेक्षा रखती है।

राष्ट्रभाषा का मूलधार प्रयोग करने वाले की संख्या की अधिकता से होती है। राष्ट्रभाषा की विशेषता होती है कि प्रबुद्ध ही नहीं, अनपढ़-गँवार की भी वह अपनी भाषा होती है। उसके द्वारा उस राष्ट्र की सांस्कृतिक-सामाजिक स्थितियों का आकलन किया जा सकता है।

राष्ट्रभाषा की एक महत्वपूर्ण भाषिक विशेषता होती है कि मानक रूप से लेकर बोलियों तक इसके अनेक रूप हो सकते हैं। यह भाषा सामान्य बातचीत से लेकर गंभीर साहित्य-सृजन और सरकारी काम-काज तक होता है या हो सकता है।

हिन्दी अंग्रेजों के शासन में भी राष्ट्रभाषा थी-भले ही इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता न मिली हो। अंग्रेजी शासन को जिस प्रकार हमने सात समुन्द्र पार भेजा

उसी प्रकार उनकी भाषा दासता (जंजीर) की निशानी अंग्रेजी को भी बाहर करना आवश्यक है। संसार के जितने भी स्वाधीन राष्ट्र हैं, उनकी अपनी भाषा है, जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रेंच, जापान की जापानी, चीन की चीनी। इसलिए जब भारतवर्ष स्वाधीन हो गया तब इसको भी अपनी राष्ट्रभाषा आवश्यक थी। यह सौभाग्य और सौभाग्य हिन्दी को प्राप्त है।

भारतवर्ष मे हिन्दी बोलने की संख्या ६० करोड़ के लगभग है जबकि अन्य भाषाओ के बोलने वालों की संख्या चार पाँच करोड़ से अधिक नहीं है। दूसरी बात है कि हिन्दी बोलने वाले और समझने वाले देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए हैं। देश के ९४ प्रतिशत लोग हिन्दी के माध्यम से विचार-विनिमय कर रहे हैं। वाणिज्य व्यापार, तीर्थाटन इत्यादि सब हिन्दी के द्वारा सम्पन्न होते हैं।

भारत के जिस कोने में जाना हो, हिन्दी जानने से काम चल सकता है, किन्तु केवल बंगला, तमिल या तेलगू जानकर काम चलाना सम्भव नहीं है। भारतवर्ष के बाहर भी लंका, अंडमान निकोबार, वेस्ट इंडीज, बर्मा ब्रिटिश घाना, अफ्रीका, मारीशस इत्यादि देशों मे हिन्दी की सहायता से काम चल सकता है। भारतवर्ष की एकमात्र भाषा हिन्दी ही है जिसका प्रचार भारत की सीमा से बाहर भी है। यह भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक तथा सुगम है।

हिन्दी की देवनागरी लिपि जानकर हम मराठी और नेपाली भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत की सारी परम्परा और विरासत को इसने अपने मे आयात किया है। तीसरी बात है कि सारे भारत की हिन्दी भाषा है, किसी स्थान-विशेष की नहीं। "हिन्द" से हिन्दी बनी है।

(iv) हिन्दी की अन्य प्रयुक्तियों में जहाँ कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है वहाँ राजभाषा हिन्दी का प्रयोग राजतंत्र का कोई व्यक्ति निर्वैयक्तिक रूप में ही करता है न कि वैयक्तिक रूप में यथा - कार्यवाही की जाय, स्वीकृति दी जा सकती है।

(v) हिन्दी की अन्य प्रयुक्तियों में किसी अन्य अर्थ में आनेवाले शब्द राजभाषा में किन्हीं अन्य अर्थों में आते हैं, यथा - भ्रष्टाचार सहचरी आदि।

समस्त राष्ट्र की मानी जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। जब कोई बोली विभाषा का रूप धारण कर क्रमशः साहित्यिक रचना का माध्यम बनकर लोकप्रिय हो जाती है तब वही भाषा समग्र राष्ट्र के विचार - विनिमय का माध्यम बनकर राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि वह जन - जन का कण्ठहार बन चुकी है। इतना ही नहीं यह देश की संस्कृति एवं देश के आदर्शों तथा देशवासियों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करती है।

और, राजभाषा प्राचीन शब्दावली में प्रयुक्त की जानेवाली दरबारी भाषा ही आधुनिक शब्दावली में राजभाषा की संज्ञा से अभिहित होती है।

Varun